न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 46/2022(2022/180)

1. हरिराम पुत्र श्री गजानन्द कुमावत।
2. शिवराज पुत्र श्री गजानन्द कुमावत।
3. सीताराम पुत्र श्री गजानन्द कुमावत।

सभी जाति कुमावत निवासीगण कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, केकडी।
2. दस्सू पुत्र रामा दरोगा।
3. तेजू पुत्र श्री गोकुल जाट।
4. किशनलाल पुत्र श्री भूरा गुर्जर।

सभी निवासीगण कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री सीताराम कुमावत
अप्रार्थी वकील– श्री इरफान अली
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 1.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2071–74 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
502–388	2125/1025	0.41	बारानी1
503–388	2126/1025	0.32	बारानी 1
388–363	2124/1025	0.41	बारानी 1

उपरोक्त आराजी प्रार्थिगण की खातेदारी की अराजीयात है तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की अराजी है आराजी प्रार्थिगण के संयुक्त कब्जे, स्वामित्य व आधिपत्य मे चली आ रही है प्रार्थिगण की उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लड़ाई झगडे होते है। क्योंकि उक्त आरजी पर अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है साथ ही प्रार्थिगण को अपने हिस्से की आराजीयात पर फसल सुरक्षार्थ तारवन्दी करवानी है इसलिये प्रार्थिगण द्वारा पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है प्रार्थिगण को उपरोक्त आरजी की नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके। ताकि आये दिन प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से विवाद नही करना पड़े

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुकाद कार्यवाहियो मे उलझना नही पडे, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थिगण को आराजीयात में आवश्यक कार्य करने गयी तो पडोसियो ने सीमा चिन्ह नही होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हों के अभाव में हमारे खेत में हंकाई बुवाई भी नही करने दी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थिगण ने पूर्व में भी आराजीयात का सीमा ज्ञान करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 6.5.2022 को उपस्थित खातेदारान व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण नही मान रहे है। अतः प्रार्थी द्वार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आराजी पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से कोई आपत्ति नही होना बताया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा राजहित प्रभावित नही होना बताया। पक्षकारान की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या नया पुराना 502–388 के खसरा संख्या 2125/1025, रकबा 0.41हैक्टर तथा खाता सख्या नया–पुराना 503–388 के खसरा नंबर 2126/1025, रकबा 0.32हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 388–363 के खसरा नंबर 2124/1025, रकबा 0.41हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner